प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12 दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of payment of Dearness Allowance to the FREEDOM FIGHTERS pensioners/ family pensioners- Revised rates effective from 01-03-2011

Ref:- 1.Prl. Accountant General (A&E) UTTARAKHAND Special Seal Authority No.PA/Pen-/UTTARKHAND/RELIEF/FREEDOM FIGHTERS/11-12/631 Dt.01-07-2011

2. Government of UTTARKHAND Finance (pension) Department GONo.143/XX/(5)11-64/FREEDOM FIGHTERS/2002Dt.05-04-2011

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , UTTARKHAND in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Nampally, Hyderabad — for information and necessary action.

-Sd/-
Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

(32)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

पत्रांक– पी.ए / पेंशन / उत्तराखण्ड / राहत / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / 11–12 / 631 दिनांक: 01.07.2011

<u>विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद

विषय– दि0 01.03.2011 से राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मासिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन में महंगाई भत्ता बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश सं0 143 / XX(5) 11–64 (स्व0 सं0से0) / 2002 ग्रह अनुभाग–5 देहरादून दि0 5 अप्रैल 2011 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि.इन्हें अपने राज्य के सभी कोषागारों की भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे कि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशनरों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय

Mailendra

वरि0 लेखाधिकारी

6993

संख्या 143/XX(5)11-64(स्व0सं0से0)/2002

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 5 अप्रैल, 2011

विषयः–दिनांक 01–03–2011 से राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन में महगांई भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–66/XX(5)10–64(स्व0सं0से0)/2002, दिनांक 24 फरवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को दी जाने वाली राज्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन में दिनांक 01–03–2011 से 13 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त वृद्धि के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर कुल महगांई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 68 प्रतिशत हो जायेगा। तद्नुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पूर्व में देय पेंशन रू0 5769/– को बढ़ाकर अब दिनांक 01–04–2011 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार समेकित भुगतान देय होगाः–

पेंशन	रू0 2851.00
अतिरिक्त पेंशन	रू0 1000.00
महगांई राहत(68%)	रू0 1938.68
विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि	रू0 350.00

योग–रू0 6139.68 (अर्थात् 6139/– रूपये छः हजार एक सौ उन्तालीस मात्र)

2– इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–107–स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना–03–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन–33–पेंशन/आनुतोषिक" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 884NP/XXVII(5)/2011, दिनांक 31–03–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

E:\Manish Mamgain\Manish gen.letter Doc..doc